रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112026-278164
CG-DL-E-25112026-278164

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 354] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 25, 2026/अग्रहायण 4, 1948
No. 354] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 2026/AGRAHAYANA 4, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2026

नियमावली

फा. सं. 45012/20/2024-Pers-I.— केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में रिक्ति वर्ष 2027 में सहायक कमाण्डेंट (कार्यकारी) की रिक्तियों को भरने हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2027 में आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा की नियमावली सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है। **उम्मीदवारों का अंतिम चयन दिवाकर पाण्डे तथा अन्य बनाम गृह मंत्रालय तथा अन्य द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय (नई दिल्ली) में दायर रिट याचिका (सिविल) संख्या 5877/2022 के परिणाम के अध्यधीन होगा।**

1. परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी। इन रिक्तियों के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबद्ध उम्मीदवारों के लिए आरक्षण सरकार द्वारा नियत किया जाएगा।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का आयोजन इस नियमावली के परिशिष्ट-I में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

परीक्षा कब और कहां होगी यह आयोग द्वारा निश्चित किया जाएगा ।

3. परीक्षा के वर्ष में 01 जनवरी को मूलभूत प्रशिक्षण अवधि सहित उपनिरीक्षक (जीडी)/निरीक्षक (जीडी) रैंक में उम्मीदवार की 04 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होनी चाहिए। उम्मीदवार की सेवा का रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए **अर्थात्, नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने तक पिछले 4 वर्षों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियमावली, 2001 के नियम-34 (vi-x) में वर्णित किसी लघु दण्ड को अधिरोपित नहीं किया गया हो और/या सम्पूर्ण सेवा अवधि के दौरान केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियमावली के नियम-34 (i-v) के अंतर्गत किसी दीर्घ दण्ड को अधिरोपित नहीं किया गया हो।**

4. उम्मीदवार की आयु 01 अगस्त, **2027** को 35 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए अर्थात उसका जन्म 02 अगस्त, **1992** से पहले न हुआ हो। हालांकि, उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम आयु सीमा का जहां तक संबंध है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवार को 05 वर्ष की अधिकतम छूट प्रदान की जाएगी।

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी परिस्थिति में छूट नहीं दी जाएगी।

5. प्रत्येक उम्मीदवार जो अन्यथा परीक्षा में भाग लेने का पात्र है, उसे परीक्षा हेतु कुल 03 (तीन) अवसर दिए जाएंगे।

6. सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर की होनी चाहिए।

7. एनसीसी 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण-पत्र होना एक वांछनीय अर्हता है। इन वांछनीय अर्हताओं पर विचार केवल साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के समय किया जाएगा।

8. नियमावली के परिशिष्ट-।। में विनिर्दिष्ट के.औ.सु.ब., **2027** में सहायक कमांडेंट (कार्यकारी) के चयन हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को निर्धारित शारीरिक तथा चिकित्सकीय मानक पूरे करने होंगे।

9. गृह मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में परीक्षा नियमावली अधिसूचित होने और आयोग द्वारा परीक्षा का नोटिस जारी किए जाने के बाद उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट (https://upsconline.nic.in) पर ऑनलाइन आवेदन भरेगा तथा उसकी एक प्रति (हार्ड कॉपी) उचित माध्यम से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्राधिकारियों को सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगा, जिसे आगे आयोग को भेजा जाएगा। निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार उम्मीदवारों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए आवेदनों की संवीक्षा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा की जाएगी। हालांकि परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी भी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार करने तथा उसकी पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

10. परीक्षा में आवदेन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हों। परीक्षा के उन सभी चरणों, जिनके लिए आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण एवं चिकित्सीय मानक परीक्षा अथवा व्यक्तित्व/साक्षात्कार परीक्षा में उनका प्रवेश पूर्णतः **अंनतिम** होगा, जो उनके निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा। यदि लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण एवं चिकित्सीय मानक परीक्षा या व्यक्तित्व/साक्षात्कार परीक्षा के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता शर्तों में से कोई पूरी नहीं करते हैं तो परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी **रद्द** कर दी जाएगी।

11. इस परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों के लिए ई-प्रवेश पत्र परीक्षा की तारीख से **एक सप्ताह** पहले आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा जिसे पात्र उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। आयोग द्वारा कोई कागजी

ई-प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। जब तक उम्मीदवार के पास डाउनलोड किया हुआ ई-प्रवेश पत्र नहीं होगा तब तक उन्हें परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

12 (1) जो उम्मीदवार निम्नांकित कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित हो चुका है:-

(क) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अर्थात्:

(i) गैर-कानूनी रूप से पारितोषण की पेशकश करना, या

(ii) दबाव डालना, या

(iii) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा

(ख) नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा

(ग) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्यसाधन कराया है, अथवा

(घ) जाली प्रमाण-पत्र/गलत प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना जिसमें तथ्य को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(ङ) आवेदन पत्र में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करना; अथवा

(च) गलत या झूठे वक्तव्य देना या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना; अथवा

(छ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, अर्थात:

(i) गलत तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना;

(ii) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना;

(iii) परीक्षकों को प्रभावित करना;

(ज) परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के पास अनुचित साधनों का पाया जाना अथवा अपनाया जाना; अथवा

(झ) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना अथवा असंगत सामग्री; अथवा

(ञ) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है; अथवा

(ट) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकी दी हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; अथवा

(ठ) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (चाहे वह स्विच ऑफ हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच इत्यादि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण, (चाहे वह बंद हो या चालू) प्रयोग करते हुए या आपके पास पाया गया हो; अथवा

(ड) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गए प्रवेश-पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है; अथवा

(ढ) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी कार्य को करने का प्रयास करना या जैसा भी मामला हो, उसे करने के लिए उकसाना,

तो उस पर समय-समय पर संशोधित लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के अन्तर्गत आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन)/यथोचित उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ आयोग द्वारा उम्मीदवार को इस नियमावली के अंतर्गत परीक्षा हेतु अयोग्य ठहराया जाएगा और/अथवा उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा:-

(i) आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा या चयन से;

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से;

यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है; बशर्ते इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तकः

(i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर अनुमत समय में विचार न कर लिया जाए।

12(2) कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उक्त खंड (क) से (ड) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरूद्ध खंड (ढ) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

13(1) जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा अपने विवेकाधिकार से निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते है उन्हें के.औ.सु.ब. द्वारा शारीरिक मानक/शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा चिकित्सकीय मानक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जिससे यह जांच हो सके कि क्या वे इस नियमावली के परिशिष्ट-।। में विनिर्दिष्ट शारीरिक और चिकित्सीय मानकों को पूरा करते हैं।

13(2) किसी भी चरण पर किसी एक अथवा सभी पेपरों में न्यूनतम अर्हक मानक निर्धारित करने का विवेकाधिकार आयोग के पास है तथा केवल ऐसे उम्मीदवारों के परंपरागत पेपरों का मूल्यांकन करने का अधिकार आयोग को है जिसमें, उन्होंने आयोग के विवेकाधिकार द्वारा निर्धारित वस्तुनिष्ठ पेपरों में न्यूनतम अर्हक मानक प्राप्त किए हों।

13(3) किंतु यह कि यदि आयोग को ऐसा लगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए लिखित परीक्षा में सामान्य मानकों के आधार पर शारीरिक मानक/शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा चिकित्सकीय मानक परीक्षाओं के लिए इन श्रेणियों से आवेदकों की पर्याप्त संख्या मिलने की संभावना नहीं हैं तो उन्हें मानकों में छूट प्रदान करते हुए शारीरिक मानक/शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा चिकित्सकीय मानक परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है।

13(4) वे उम्मीदवार जो इस नियमावली के परिशिष्ट-।। में विनिर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा करते हैं उनका शारीरिक दक्षता परीक्षण (पी.ई.टी.) किया जाएगा जिसे नीचे दर्शाया गया हैः

शारीरिक दक्षता परीक्षण (पी.ई.टी.)

		पुरुष	**महिला**
(क)	100 मीटर दौड़	16 सेकेण्ड में	18 सेकेण्ड में
(ख)	800 मीटर दौड़	3 मिनट 45 सेकेण्ड में	4 मिनट 45 सेकेण्ड में
(ग)	लम्बी कूद	3.5 मीटर (3 अवसर)	3 मीटर (3 अवसर)
(ड)	गोला फेंकना (शॉट पुट) (7.26 किलो)	4.5 मीटर (3 अवसर)	--

ये परीक्षण केवल अर्हक प्रकृति के होंगे और इनके कोई अंक नही होंगे। इन परीक्षणों में से किसी भी परीक्षण में असफलता अयोग्यता मानी जाएगी।

महिला उम्मीदवारों द्वारा पीएसटी (शारीरिक मानक परीक्षण)/पीईटी (शारीरिक दक्षता परीक्षण) के लिए रिपोर्ट करते समय, गर्भावस्था के संबंध में अपनी स्थिति का उल्लेख करते हुए एक स्व-घोषणा प्रस्तुत की जाएगी। यदि वह घोषणा करती है कि वह गर्भवती नहीं है तो उसे पीएसटी/पीईटी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। मिथ्या घोषणा करने के मामले में, पीएसटी/पीईटी में भाग लेने पर समस्त जोखिम के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगी। यदि कोई महिला उम्मीदवार पीएसटी/पीईटी से पूर्व घोषणा करती है कि वह गर्भवती है, तो इस बात की पुष्टि के लिए एक परीक्षण किया जाएगा और यदि वह गर्भवती पाई जाती है, चाहे उसकी गर्भावस्था की अवधि कुछ भी हो, तो उसे अस्थायी रूप से अनफिट घोषित किया जाएगा और प्रसव होने तक उसकी नियुक्ति को रोक दिया जाएगा। जिस पद के लिए महिला उम्मीदवार का चयन किया गया था, उसे उस महिला के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए। प्रसूति के छह सप्ताह बाद किसी पंजीकृत चिकित्सक से प्राप्त फिटनेस का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर पीएसटी/पीईटी हेतु उसका पुन: परीक्षण किया जाएगा। यदि वह पीएसटी/पीईटी और डीएमई में फिट पाई जाती है, तो उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर उसे नियुक्त किया जा सकता है और समय-समय पर यथासंशोधित सरकार के अनुदेशों के अनुसार वरिष्ठता का लाभ दिया जा सकता है। यदि महिला उम्मीदवार गर्भवती नहीं पाई जाती हैं, तो उन्हें पीएसटी/पीईटी में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।

आगे यह प्रावधान भी किया गया है कि गर्भावस्था और उसके कारण अस्थायी अनफिट होने के कारण आयोग द्वारा अंतिम रूप से दिए गए व्यक्तित्व साक्षात्कार कार्यक्रम के अनुसार अन्य उम्मीदवारों के साथ साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में उसकी उपस्थिति पर कोई रोक नहीं होगी और साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से उसकी अनुपस्थिति पर के.औ.सु.ब. सहा.कमां (कार्यकारी) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा-2027 के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

13(5) परिशिष्ट-।। में निर्धारित मानदडों की जांच करने हेतु केवल उन उम्मीदवारों की चिकित्सकीय मानक परीक्षा {जिसमें विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) तथा समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) यदि अपेक्षित हो, शामिल हैं} की जाएगी, जो उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्हक घोषित किए गए हैं। उम्मीदवारों को चिकित्सा मानक परीक्षा में **"फिट" या "अनफिट"** घोषित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के दौरान **"अनफिट"** घोषित किया जाता है, उन्हें समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) में शामिल होने की अनुमति होगी, बशर्ते वे अनफिट होने के कारणों का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में अपनी सहमति दें, जिस पर उनके हस्ताक्षर हों। उम्मीदवारों की समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई), विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के क्रम में, अधिमानतः डीएमई के अगले दिन की जाएगी।

13(6) शारीरिक मानक/शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) एवं चिकित्सकीय मानक परीक्षा का आयोजन के.औ.सु.ब. के पर्यवेक्षण में होगा। ये परीक्षण विभिन्न केन्द्रों में आयोजित किए जाएंगे, जिन्हें लिखित परीक्षा परिणाम के बाद अधिसूचित किया जाएगा।

13(7) वे सभी उम्मीदवार जिन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के दौरान अनफिट घोषित किया गया है, उन्हें आरएमई हेतु निर्धारित प्रपत्र में अपनी सहमति देनी होगी, जिस पर उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों। उम्मीदवार को डीएमई में अपने अनफिट होने के संबंध में सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर इसे प्रस्तुत करना होगा।

13(8) जिन उम्मीदवारों को चिकित्सा मानक परीक्षाओं {जिसमें विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) तथा समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई), यदि अपेक्षित हो, शामिल हैं} में अर्हक घोषित किया जाता है उन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के 200 अंक होंगे।

13(9) साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण सक्षम तथा निष्पक्ष व्यक्तियों के बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाएगा जिनके समक्ष उम्मीदवारों के जीवन-वृत का रिकॉर्ड प्रस्तुत होगा। उम्मीदवार से उनके संबंधित क्षेत्र के साथ-साथ सामान्य अभिरूचि के

विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगें ताकि उनकी जागरूकता और समझ की जांच हो सके। विस्तृत अर्थों में यह न केवल उनकी मानसिक योग्यता बल्कि उनके सामाजिक गुणों और चरित्र की सत्यनिष्ठा का मूल्यांकन होगा। बोर्ड मोटे तौर पर अन्य बातों के साथ-साथ उम्मीदवार का निम्नलिखित मूल्यांकन करेगाः

(i) **शारीरिक बनावट**

(क) रूप-रंग ।

(ख) आचरण ।

(ग) शिष्टाचार एवं व्यक्तिगत व्यवहार ।

(ii) **सामान्य बुद्धिमत्ता, अभिरुचि एवं रुचि**

(क) तथ्यों एवं स्थितियों को समझने, उनका विश्लेषण करने तथा उनको प्रस्तुत करने की योग्यता ।

(ख) कार्य संबंधी अभिरुचि जैसे अनुशासन, समानुभूति आदि।

(ग) पाठ्येतर गतिविधियां - खेलों, खेल-कूद, वाद-विवाद आदि में भागीदारी ।

(iii) **मनोवृत्ति**

(क) नेतृत्व, संचालन, संकल्प, शीघ्र निर्णय लेना आदि।

(ख) आत्म निर्भरता ।

(ग) तनाव एवं संकट का सामना करने की क्षमता ।

(घ) साहस-नैतिक एवं शारीरिक।

(iv) **व्यक्त्वि के व्यावहारिक पहलू**

(क) उच्चाधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अंतःव्यैक्तिक संबंध।

(ख) मूल्यों, सत्यनिष्ठा, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय अभिमुखीकरण के प्रति वचनबद्धता ।

13(10) ऐसे उम्मीदवार जो शारीरिक मानक/शारीरिक दक्षता परीक्षणों या चिकित्सकीय मानक परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

14(1) साक्षात्कार के बाद, परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप सें प्रदान किए गए कुल अंकों के आधार पर आयोग द्वारा उम्मीदवारों को योग्यताक्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। उस क्रम में उतने ही उम्मीदवारों को, जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में नियुक्ति के लिए अर्हक पाया गया है, परीक्षा के परिणाम के आधार पर अनारक्षित रिक्तियों की संख्या के अनुसार पद पर चयन के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित किया जाएगा।

14(2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या के अनुसार, इन उम्मीदवारों के पद पर चयन हेतु उपयुक्त होने की शर्त के अधीन शिथिल मानकों पर आयोग द्वारा चयन के लिए अनुशंसित किया जा सकता है।

किंतु यह कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवार जिन्होंने परीक्षा के किसी भी चरण पर पात्रता या चयन मानदंड में किसी भी प्रकार की रियायत या छूट का लाभ नहीं लिया है तथा वे उम्मीदवार जो आयोग द्वारा सामान्य अर्हक मानक के आधार पर अनुशंसा के लिए योग्य पाए गए हैं, को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित नहीं किया जाएगा।

किंतु यह भी कि जो उम्मीदवार योग्यताक्रम सूची में अर्हता प्राप्त करते हैं परन्तु, जिनका चिकित्सकीय मानक परीक्षा का परिणाम लम्बित है, उनको अस्थायी रूप से अनुशंसित किया जाएगा।

और यह भी कि उम्मीदवारों का अंतिम चयन दिवाकर पाण्डे तथा अन्य बनाम गृह मंत्रालय तथा अन्य द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय (नई दिल्ली) में दायर रिट याचिका (सिविल) संख्या 5877/2022 के अंतिम परिणाम के अध्यधीन होगा ।

14(3) टाई के सभी मामलों का समाधान 'अकों को पूर्णांकित करने' और 'टाई-ब्रेकिंग सिद्धांतों' के आधार पर निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) <u>अकों को पूर्णांकित करना:</u>

परीक्षा के सभी चरण (चरणों) में, उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को, मानक पूर्णांकन सिद्धांत लागू करते हुए, जहां भी लागू हो, दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित किया जाएगा। तदनुसार, टाई-ब्रेकिंग सिद्धांतों को लागू करते समय, टाई के सभी को मामलों को हल करने के लिए दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित अंकों पर विचार किया जाएगा।

(ख) <u>टाई ब्रेकिंग सिद्धांत</u>

(i) यदि कुल अंक (अंतिम अंक) बराबर हैं, तो लिखित परीक्षा के कुल अंकों में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को उच्चतर रैंक दी जाएगी;

(ii) यदि उपरोक्त (i) में अंक समान हैं, तो "पेपर-I: सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमत्ता तथा व्यावसायिक कौशल" में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी;

(iii) यदि उपरोक्त (i) और (ii) के अंक भी समान हैं, तो आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी; और

(iv) यदि उपर्युक्त टाई ब्रेकिंग सिद्धांतों को लागू करने के उपरांत भी टाई रहता है, तो इसका निपटान आयोग के विवेकानुसार किया जाएगा।

15. प्रत्येक उम्मीदवार की परीक्षा का परिणाम संप्रेषित करने के रूप तथा विधि का निर्णय आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार किया जाएगा तथा आयोग परिणाम के संबंध में किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

16. उम्मीदवार को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ और शारीरिक विकारों से मुक्त होना चाहिए, जिससे सेवा के अधिकारी के रूप में उसके कार्यों के निष्पादन में कोई व्यवधान आने की संभावना न रहे। सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा विनिर्धारित ऐसी चिकित्सकीय परीक्षा के बाद जो उम्मीदवार इन अपेक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर पाते, उन्हें नियुक्त नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को के.औ.सु.ब. के दिनांक 28.01.2009 के परिपत्र संख्या (145) अनुसार वार्षिक चिकित्सा परीक्षा-2026 (अगस्त, 2027 तक मान्य होना चाहिए) के दौरान शेप-I (एसएचएपीई-I) चिकित्सा श्रेणी में होना चाहिए।

17. अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची आयोग द्वारा प्रशिक्षण और चिकित्सा जांच हेतु सहायक कमाण्डेंट (कार्यकारी) के पद पर 'नियुक्ति पत्र' भेजने के लिए गृह मंत्रालय/ महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को अग्रेषित की जाएगी। चयनित उम्मीदवार बल के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे।

18. परीक्षा के किसी भी चरण में उम्मीदवार को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता/ यात्रा खर्च की अनुमति नहीं होगी।

वीरेंद्र कुमार मिश्रा, निदेशक (कार्मिक)

परिशिष्ट-I

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमाण्डेन्ट के पद के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा हेतु लिखित परीक्षा की योजना तथा पाठ्यक्रम।

(I) लिखित परीक्षा की योजनाः-

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में निम्नलिखित दो पेपर होंगे:

पेपर-I: सामान्य योग्यता, बुद्धिमत्ता और व्यावसायिक कौशल:

प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समय
150	300	02.30 घंटे

यह पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्प प्रश्न) का होगा । इसमें प्रश्न हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी होंगे। पेपर निम्नलिखित दो भागों में होगा:

भाग (क) : सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमत्ता (75 प्रश्न) - 150 अंक

भाग (ख) : व्यावसायिक कौशल (75 प्रश्न) - 150 अंक

पेपर-II: निबन्ध, सार-लेखन एवं अपठित गद्यांश - 100 अंक (2 घण्टे)

इस पेपर में उम्मीदवारों को निबंध अंग्रेजी या हिन्दी भाषा में लिखने का विकल्प मिलेगा किन्तु, सार-लेखन एवं अपठित गद्यांश केवल अंग्रेजी माध्यम में ही लिखने की अनुमति होगी।

टिप्पणी-1: उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पेपर-II के उपर्युक्त विभिन्न संघटकों के लिए, उत्तर आयोग द्वारा अनुमत-माध्यम में ही लिखें। पेपर में अनुमत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में उत्तर लिखने पर उसका आकलन नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी-2: उम्मीदवारों को निबंध लिखने का माध्यम उपस्थिति सूची तथा उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट करना होगा। यदि उम्मीदवार उपस्थिति सूची तथा उत्तर पुस्तिका में उस माध्यम से भिन्न माध्यम दर्शाता है जिसमें उसने निबंध लिखा है तो उसके निबंध का आकलन नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी-3: प्रत्येक पेपर में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक होंगे जो आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

टिप्पणी-4: आयोग लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की सूची जारी करेगा। के.औ.सु.ब. द्वारा पहले पीईटी (शारीरिक क्षमता परीक्षण) आयोजित किया जाएगा और केवल उन उम्मीदवारों की चिकित्सकीय क्षमता परीक्षा की जाएगी जिनको पीईटी में अर्हक घोषित किया जाता है।

टिप्पणी-5: जो उम्मीदवार चिकित्सा परीक्षा और शारीरिक क्षमता परीक्षण में अर्हता प्राप्त करते हैं उन्हें आयोग द्वारा आयोजित व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार में शामिल होना होगा।

उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी और आगे की कार्यवाही के लिए के.औ.सु.ब. प्राधिकारी को प्रेषित की जाएगी।

(।।) **<u>लिखित पेपरों का पाठ्यक्रम:</u>**

पेपर –I: सामान्य योग्यता, बुद्धिमत्ता एवं व्यावसायिक कौशल

भाग-क: सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमत्ता:- पेपर में बहु-विकल्प सहित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जो व्यापक रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित होंगे:

1. सामान्य योग्यता:

संख्यात्मक योग्यता एवं आंकड़ा निर्वचन सहित तार्किक विवेचना, मात्रात्मक अभिरूचि के परीक्षण हेतु प्रश्न किए जाएंगे।

2. सामान्य विज्ञान:

सामान्य ज्ञान, वैज्ञानिक सोच, महत्वपूर्ण नये क्षेत्रों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण विज्ञान सहित वैज्ञानिक घटनाओं के दैनिक प्रेक्षण के परीक्षण हेतु प्रश्न तैयार किए जाएंगे।

3. राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं:

इन प्रश्नों से राष्ट्रीय तथा अंतर्राराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं से संबंधित व्यापक क्षेत्रों जैसे संस्कृति, संगीत, कला, साहित्य, खेल, शासन, सामाजिक तथा विकासात्मक मुद्दों, उद्योग, व्यवसाय, भूमंडलीकरण तथा देशों के बीच पारस्परिक संबंधों के बारे में उम्मीदवारों की जानकारी का परीक्षण किया जाएगा।

4. सामान्य ज्ञान:

इन प्रश्नों से उम्मीदवारों के सामान्य ज्ञान तथा उससे संबद्ध प्रश्न जैसे भारत का इतिहास, भारतीय और वैश्विक भूगोल के साथ-साथ भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था संबंधी विषयों की जानकारी का परीक्षण किया जाएगा ।

<u>भाग (ख) : व्यावसायिक कौशल:</u>

यह परीक्षा के.औ.सु.ब. की प्रचालनात्मक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप उम्मीदवारों के व्यावसायिक कौशल का परीक्षण करने के लिए तैयार की गई है और इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा:

1. <u>के.औ.सु.ब. सबंधित व्यावसायिक कौशल :</u>

- औद्योगिक सुरक्षा;
- औद्योगिक संरक्षा और अग्निशमन;
- आपदा प्रबंधन;
- विमानन सुरक्षा;
- आसूचना और अपराध - जासूसी, अंतर्ध्वंस, विध्वंसक गतिविधि
- परिधि सुरक्षा
- महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा- डी. ए. ई., मेट्रो रेल, अंतरिक्ष, सरकारी भवन, बंदरगाह, जेल;
- तकनीकी उपस्करों का प्रयोग-अलार्म, डिटेक्शन, घुसपैठ, आवागमन नियंत्रण, अग्नि सुरक्षा;
- बम की खोज और निपटान;
- वी आई पी सुरक्षा;
- आंतरिक सुरक्षा और चुनावी ड्यूटी;
- सुरक्षा कार्यों में ड्रोन प्रौद्योगिकी;
- सुरक्षा परामर्श

2. <u>कानून :</u>

- **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023** (खंड: 35-62 गिरफ्तारी, 96-110 तलाशी एवं जब्ती, 148-151 गैर-कानूनी जमावड़ा, 163 उपद्रव या आशंकित खतरे के अत्यावश्यक मामले, 168-172 पुलिस की निरोधात्मक कार्रवाई);
- **भारतीय न्याय संहिता, 2023** (खंड: 2(28) लोक सेवक, 14-44 सामान्य अपवाद, 112-113 छोटे-मोटे संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य, 171 चुनाव में अनुचित प्रभाव, 189-197 सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध, 286-290 जहरीले पदार्थ, आग या ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ, मशीनरी, इमारतों की मरम्मत या निर्माण आदि के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण, 304 झपटमारी, 303-307 चोरी, 316-317 आपराधिक विश्वासघात, चोरी की संपत्ति, 324-328 शरारत, 329-334 आपराधिक अतिचार, 351 आपराधिक धमकी);
- **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023** (खंड: 2(ई) साक्ष्य, 57 एवं 58 प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीय साक्ष्य);
- **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (खंड-VII);**
- **अन्य अपराधिक गतिविधियां** (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012);
- **मानवाधिकार** (मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, 20, 21 एवं 22, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम, 2013)

3. <u>कम्प्यूटर संबंधी कौशल और जागरूकता</u>:

- कंम्प्यूटर सुरक्षा
- मूलभूत कम्प्यूटर प्रचालन
- मूलभूत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

4. <u>सेवा नियमावली और एच आर मामले</u>:

- सी.सी.ए. नियमावली;
- के.औ.सु.ब. अधिनियम और नियमावली;
- के.औ.सु.ब. से संबंधित एचआर कार्य;

<u>प्रश्न पत्र ।।: निबंध, सार-लेखन और अपठित गद्यांश</u>

यह प्रश्न-पत्र दिए गए निबंध के विषय पर उम्मीदवारों द्वारा अपने विचारों को सुसंगत, क्रमबद्ध, संक्षिप्त, समझने योग्य तथा सुबोध तरीके से प्रभावी तथा त्रुटि रहित वर्तनी और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा में प्रस्तुत कर पाने की योग्यता का परीक्षण करेगा।

इसके अतिरिक्त, इस प्रश्न-पत्र से उम्मीदवार की सार-लेखन (प्रेसी राईटिंग) तथा अपठित गद्यांश के लिए दिए गए पैराग्राफ को समझने तथा संक्षेपण हेतु दिए गए उद्धरण का सार लिखने की निपुणता और अपठित गद्यांश में लघु प्रश्नों के जवाब देने की योग्यता का परीक्षण भी किया जा सकेगा।

परिशिष्ट-।।

सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा- 2027 के माध्यम से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमाण्डेंट के पद के लिए चयनित उम्मीदवारों हेतु शारीरिक और चिकित्सा मानक

परिशिष्ट--।। (क)

(1) शारीरिक मानक:

सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं:

	पुरूष	**महिला**
कद	165 से.मी. (सामान्य एवं अनुसूचित जाति)	157 से.मी. (सामान्य एवं अनुसूचित जाति)
	162.5 से.मी. (अनुसूचित जनजाति)	154 से.मी. (अनुसूचित जनजाति)
छाती (बिना फुलाए)	81 से.मी. (न्यूनतम 5 से.मी. फुलाव के साथ)	लागू नहीं
वजन	कद के अनुरूप	कद के अनुरूप
चिकित्सा श्रेणी	शेप-1	शेप-1

इसके अलावा, वजन **परिशिष्ट-।। (ख)** में दर्शाए गए कद और वजन के अनुरूप होना चाहिए।

(2) चिकित्सा मानक:

(क) दृष्टिः

	अच्छी आंख (सही की गई दृष्टि)	खराब आंख (सही की गई दृष्टि)
दूर दृष्टि	6/6 अथवा 6/9	6/12 6/9
निकट दृष्टि	जे I (करेक्टेड)	जे 2 (करेक्टेड)

उम्मीदवार में किसी भी प्रकार का भैंगापन नहीं होना चाहिए और रंगदृष्टि बेहतरीन होनी चाहिए। उम्मीदवार की रंगदृष्टि की जांच इशिहारा परीक्षण और एड्रिज-ग्रीन-लैंटर्न परीक्षण द्वारा की जाएगी। आंखों में दीप्ति, स्पष्टता के साथ-साथ कोई भी असामान्यता/बीमारी नहीं होनी चाहिए। आंखों की पुतलियां पूरी तरह और सभी दिशाओं में घूमती हों। निकटदृष्टि के प्रत्येक मामले में फण्डस परीक्षा की जाएगी और परिणाम रिकॉर्ड किए जाएंगे। कांटेक्ट लैन्स या लेजर शल्य चिकित्सा की अनुमति नहीं है ।

(ख) **कैरिंग एंगल-**

कैरिंग एंगल पुरुषों के लिए 15 डिग्री और महिलाओं के लिए 20 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(ग) **कान-**

(।) उम्मीदवार में किसी प्रकार की बधिरता नहीं होनी चाहिए या स्थायी रूप से कान से कोई स्राव न हो ।

(।।) उम्मीदवार में कोई अन्य दशा (जन्मजात या उपार्जित) जैसे – मियेटस का नलिकारोध, एक्सोस्टोसिस, नियोप्लाज्म जो कर्णमार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करता हो और बार-बार कान में दर्द होने, टिनिटस और वर्टिगो का इतिहास नहीं होना चाहिए।

(घ) **नाक-** उम्मीदवार में डी एन एस, एट्रोफिक राइनाटिस ट्यूबरक्युलर, अल्सरेशन तथा क्रॉनिक साइनसाइटिस नहीं होना चाहिए।

(ङ) **ग्रीवा-** उम्मीदवार के लिम्फ नोड्स में सूजन, थायरायड या गले में अन्य प्रकार की सूजन, गर्दन को पूर्णरूपेण घुमाने में अक्षमता या मेरूदण्ड या सर्विकल वर्टिब्रा की बीमारियों का कोई लक्षण न हो।

(च) **दांत-** सुचारू रूप से चबाने के लिए उम्मीदवार में समुचित संख्या में दांत अवश्य होने चाहिए। उम्मीदवार को गंभीर पायरिया न हो।

(छ) **रतिज रोग-** उम्मीदवार में नैदानिक वीडी के सक्रिय चिन्ह नहीं होने चाहिएं।

(ज) **चिरकालिक त्वचा रोग-** उम्मीदवार में चिरकालिक त्वचा रोग जैसे कुष्ठ, क्रॉनिक डर्माटाइटिस, एक्सटेंसिव पिटीरियासिस वर्सीकालर, सोरायसिस, एसएलई आदि नहीं होने चाहिए।

(3) **सामान्य मानक:**

(क) शब्दों का उच्चारण दोष रहित अर्थात् हकलाहट के बिना होना चाहिए ।

(ख) उम्मीदवार में चिरकालिक रोग जैसे क्षय, किसी प्रकार का गठिया, उच्च रक्त दाब, मधुमेह, श्वासनिक दमा, किसी प्रकार की हृदय की बीमारी के लक्षण नहीं होने चाहिए।

(ग) उम्मीदवार के शरीर में कहीं कोई ग्रन्थिल तथा प्रत्यक्ष सूजन नहीं होनी चाहिए।

(घ) वक्ष सुगठित होना चाहिए और किसी प्रकार की असामान्यता अर्थात् रिकेटी गुटिका - माला दोष सहित चपटा वक्ष, कपोत वक्ष नहीं होना चाहिए। दिल एवं फेफडे स्वस्थ होने चाहिए।

(ङ) अंग, हाथ तथा पाँव सुगठित तथा सुविकसित होने चाहिए तथा सभी जोड़ ठीक ढंग से काम करते हों।

(च) कोई पुराना/कुसंयोजित अस्थिभंग नहीं होना चाहिए।

(छ) सभी जोड़ निर्बाध रूप से और ठीक ढंग से काम करते हों।

(ज) पाँव तथा पाँव की उंगलियां सुगठित होनी चाहिए।

(झ) कोई जन्मजात विकृति या दोष नहीं होना चाहिए।

(ञ) किसी पिछले गंभीर या चिरकालिक रोग के संकेत नहीं होने चाहिए जिससे, दोषयुक्त गठन का पता चले।

(ट) उम्मीदवार को जनन-मूत्र पथ का कोई रोग न हो।

(ठ) उम्मीदवार को वंक्षण, वृषणकोशीय सूजन या किसी प्रकार हर्निया न हो।

(ड) (केवल पुरूषों के लिए) दोनों वृषण वृषणकोश में हों तथा सामान्य आकार के हों।

(ढ) उम्मीदवार के नॉक नीज़ (Knock Knees), चपटे पाँव (Flat feet) तथा वेरिकोस वेन्स न हों।

(ण) उनका मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम हो तथा ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त हों जिनसे कर्त्तव्यों के दक्षतापूर्ण कार्य-निष्पादन में बाधा आने की संभावना हो।

(4) उम्मीदवार टेकिकार्डिया (नाडी दर 100 प्रति मिनट से अधिक) या ब्रैडीकार्डिया (नाड़ी दर 50 प्रति मिनट से कम) से पीड़ित न हो ।

(5) उम्मीदवार हर्निया, अर्श, कॉन्डिलोमेटा मलाशय भ्रंश (कॉन्डिलोमाटा प्रोलैप्स रेक्टम) से पीड़ित न हो।

टिप्पणीः

1. **केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं असम रायफल में राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों की भर्ती हेतु चिकित्सा परीक्षा, गृह मंत्रालय के दिनांक 20.05.2015 के यूओ द्वारा जारी संशोधित समान दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं असम रायफल में राजपत्रित एवं अराजपत्रित**

अधिकारियों के लिए समीक्षा चिकित्सा परीक्षा, गृह मंत्रालय के दिनांक 31.05.2021 के यूओ सं. ई-32012/एडीजी (चिकित्सा)/डीएमई एवं आरएमई/डीए-1(2020)/पार्ट फाइल/1166 के तहत जारी समीक्षा चिकित्सा परीक्षा हेतु संशोधित समान दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी ।

2. उम्मीदवारों को चिकित्सा मानक परीक्षा में "फिट" या "अनफिट" घोषित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को चिकित्सा मानक परीक्षाओं में अनफिट घोषित किया जाता है, उन्हें अधिमानत: विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के अगले दिन समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के समक्ष, उपस्थित होने की अनुमति होगी।

परिशिष्ट-।। (ख)

विभिन्न आयु वर्गों तथा कद के लिए पुरूष का औसत शारीरिक वजन किलोग्राम में।

कद से.मी.	आयु वर्षों में			
	18-22	23-27	28-32	33-37
156	44-54	46-56	47-58	48-59
158	45-55	47-57	48.5-59.5	49.5-60.5
160	46-56	47.7-58.5	49.5-60.5	50.5-61.5
162	47-58	49-60	50.5-61.5	52-63
164	48-59	50-61	52-63.5	53-65
166	49.5-60.5	51.5-62.5	53-65	54.5-66.5
168	51-62	52.5-64.5	54.5-66.5	56-68
170	52-64	54-66	56-68	57.5-70.5
172	54-66	55.5-67.5	57-70	59-72
174	55-67	57-70	59-72	61-74.5
176	56.5-69	58.5-71.5	60.5-73.5	62-76
178	57.5-70.5	60-73	61.5-75.5	63.5-77.5
180	59-72	61-75	63.5-77.5	65.5-80
182	61-74.5	62.5-76.5	65-79	66.5-81.5
184	63-77	64.5-78.5	66.5-81.5	68.5-83.5
186	63.5-77.5	65.5-80.5	68-83	70-86
188	65-79	67.5-82.5	70-85.5	71.5-87.5
190	66-81	68.5-83.5	70.5-86.5	72.5-88.5

विभिन्न आयु वर्गों तथा कद के लिए महिला का औसत शारीरिक वजन किलोग्राम में।

कद से.मी.	आयु वर्षों में			
	18-22	23-27	28-32	33-37
148	34.5-42.5	37-45	38.5-47	39.5-48.5
150	36.5-44.5	37.5-45.5	39-48	40.5-49.5
153	38-46	39-48	41-50	42-51
155	38.5-47.5	40-49	41.5-50.5	43-52.5
158	40.5-49.5	42-51	43-53	44.5-54.5
160	41.5-50.5	43-52.5	44-54	45.5-54.5
163	43-52.5	44-54	46-56	47-57
165	44-54	45.5-55.5	47-58	48.5-59.5
168	45-55	47-57	48.5-59.5	49.5-60.5

इस सारणी में केवल चुनिंदा कद (से.मी.) के संबंध में संगत शारीरिक वजन दिए गए हैं। बीच के कद के संबंध में शारीरिक वजन की गणना के लिए "औसत" का सिद्धान्त प्रयुक्त किया जा सकता है।

सारणीबद्ध कद से बाहर के औसत वजन की गणना के लिए कद में प्रत्येक एक से.मी. की वृद्धि या कमी के लिए 0.71 कि.ग्रा. क्रमशः बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2026

RULES

F. No. 45012/20/2024-Pers-I — The Rules for a Limited Departmental Competitive Examination to be held by the Union Public Service Commission in **2027**for the purpose of filling vacancies of Assistant Commandants (Executive) in Central Industrial Security Force (CISF)for the vacancy year**2027**are published for general information. **The final selection of the candidates will be subject to the final outcome of the Writ Petition (Civil) No. 5877/2022 filed by Diwakar Pande & Ors. Vs. Ministry of Home Affairs &Ors. in the High Court of Delhi at New Delhi.**

1. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix-I to these rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held, shall be fixed by the Commission.

3. The candidates should have completed four (04) years of regular service as on 01st January **of the year of the exam** in the rank of Sub. Inspector (GD)/Inspector (GD) including the period of basic training and **should have clean record of service i.e. should not have been imposed with any minor punishment as mentioned in Rule-34 (vi-x) of CISF Rules, 2001 for last 4 years till issue of offer of appointment and/or any Major punishment under Rule-34(i-v) of CISF Rules, 2001 during the entire service.**

4. A candidate must not have attained the age of 35 years on the 01st August, **2027**i.e. he/she must have been born not earlier than 02nd August, **1992**.However, the upper age limit prescribed above shall be relaxable up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Schedule Caste or a Schedule Tribe.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

5. Every candidate appearing at the examination who is otherwise eligible, shall be permitted three attempts at the examination.

6. The Educational Qualification for appearing in the Limited Departmental Competitive Examination will be a Graduation from a recognized University.

7. Possession of NCC 'B' or 'C' Certificate will be a desirable qualification. These desirable qualifications will be given consideration at the time of Interview/Personality Test only.

8. Candidates must meet the prescribed Physical and Medical standards for admission to the Limited Departmental Competitive Examination for selection of Assistant Commandants(Executive) in CISF,**2027**specified in Appendix-II of these Rules.

9. After the Notification of the Rules of the Examination in the Gazette of India by the Ministry of Home Affairs and publication of Notice of the Examination by the Commission, the candidates will have to fill in the application form online on the Commission's website(https://upsconline.nic.in) and a hard copy of the same is to be routed through proper channel to the CISF authorities for verification and onward transmission to the Commission**.** The scrutiny of applications for deciding the eligibility of candidates with reference to the stipulated eligibility conditions will be done by the Central Industrial Security Force. However, the decision of the Commission as to the acceptance of the application of a candidate and his/her eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.

10. The candidates applying for the Examination should ensure that they fulfil all the eligibility conditions for admission to the Examination. Their admission at all the stages of Examination for which they are admitted by the Commission viz. Written Examination, Physical and Medical Standard Tests or Personality/Interview Tests will be purely **provisional** subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or after the Written Examination, Physical and Medical Standard Tests or Personality/Interview Tests, it is found that they do not fulfil any of eligibility conditions; their candidature for the Examination will be **cancelled.**

11. e-Admit Card of the admitted candidates to this Examination will be uploaded on the Commission's website **one week** before the date of examination and can be downloaded by the eligible candidates. No paper Admit Card will

be issued by the Commission. Candidates shall not be admitted to the examination unless he/she holds a downloaded e-Admit Card.

12(1). A Candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of:—

(a) Obtaining support for candidature by the following means, namely:-
  (i) offering illegal gratification to; or
  (ii) applying pressure on; or
  (iii) blackmailing or threatening to blackmail any person connected with the conduct of the examination; or
(b) impersonation; or
(c) procuring impersonation by any person; or
(d) submitting fabricated / incorrect documents or documents which have been tampered with; or
(e) uploading irrelevant or incorrect photo/ signature in the application form in place of actual photo/signature; or
(f) making statements which are incorrect or false or suppressing material information; or
(g) resorting to the following means in connection with the candidature for the examination, namely :-
  (i) obtaining copy of question paper through improper means; or
  (ii) finding out the particulars of the persons connected with secret work relating to the examination; or
  (iii) influencing the examiners; or
(h) being in possession of or using unfair means during the examination; or
(i) writing obscene matter or drawing obscene sketches or irrelevant matter in the scripts; or
(j) misbehaving in the examination hall including tearing of the scripts, provoking fellow examinees to boycott examination, creating a disorderly scene and the like; or
(k) harassing, threatening or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of the examination; or
(l) being in possession of or using any mobile phone (even in switched-off mode), pager or any electronic equipment or programmable device or storage media like pen drive, smart watches etc. or camera or bluetooth devices or any other equipment or related accessories (either in working or switched-off mode) capable of being used as a communication device during the examination; or
(m) violating any of the instructions issued to candidates along with their Admit Cards permitting them to take the examination; or
(n) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses;

In addition to being liable to criminal prosecution/ appropriate legal action as deemed fit under the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024, as amended from time to time, the candidate shall be disqualified by the Commission from the Examination held under these Rules; and/or shall be liable to be debarred either permanently or for a specified period:-

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;
(ii) by the Central Government from any employment under them;

and shall be liable to face disciplinary action under the appropriate rules if already in service under Government; Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after:-

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as the candidate may wish to make in that behalf; and
(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed for this purpose, into consideration.

12(2). Any person who is found by the Commission to be guilty of colluding with a candidate(s) in committing or abetting the commission of any of the misdeeds listed at the clauses (a) to (m) above will be liable to action in terms of the clause (n) above.

13(1). Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written Examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned for the Physical Standards/Physical Efficiency Tests and Medical Standards Tests by CISF to check whether they meet the Physical and Medical Standards specified in Appendix II to these Rules.

13(2). The Commission retains discretion to fix minimum qualifying standards in any or all of the papers at any stage and retains discretion to evaluate conventional papers of only those candidates who secure minimum qualifying standards in the objective paper, as may be determined by the Commission in its discretion.

13(3).Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes may be summoned for the Physical Standards/Physical Efficiency and Medical Standards Tests by applying relaxed standards if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these categories are not likely to be summoned for the Physical Standards/Physical Efficiency Tests and Medical Standards Tests on the basis of the general standard in written examination in order to fill up the vacancies reserved for them.

13(4). Those candidates who meet the prescribed Physical Standards as specified in Appendix-II to these Rules, will be put through Physical Efficiency Test (PET) as indicated below :

PHYSICAL EFFICIENCY TEST (PET)

	Males	**Females**
(a) 100 Meters race	In 16 Seconds	In 18 Seconds
(b) 800 Meters race	In 3 Minutes 45 Seconds	In 4 Minutes 45 Seconds
(c) Long Jump	3.5 Meters (3 chances)	3.0 Meters (3 chances)
(d) Shot Put (7.26 Kgs.)	4.5 Meters (3 chances)	

These Tests will be only of qualifying nature and will not carry any marks. Failure even in one of these tests will amount to disqualification.

On reporting of female candidates for PST (Physical Standard Test)/PET (Physical Efficiency Test), a self declaration indicating about her pregnancy status shall be submitted. In case, if she declares that she is not pregnant then she may be allowed to participate in the PST/PET. In case of false declaration, all the risk for undergoing PST/PET will be of her own. If the female candidate declares that she is pregnant before PST/PET, then a confirmatory pregnancy test to be done and in case she is found to be pregnant, irrespective of duration of pregnancy, she may be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. The vacancy against which a woman candidate was selected should be kept reserved for her. She will be re-examined for PST/PET six weeks after the date of confinement was over, subject to the production of the medical certificate of fitness from a registered medical practitioner. If she is found fit in PST/PET & DME, she may be appointed to the post kept reserved for and allowed the benefit of seniority in accordance with the instructions of the Government, as amended from time to time. In case female candidates are found negative for pregnancy, she may be allowed to participate in the PST/PET.

It is further provided that the pregnancy and the temporary unfitness due to the same, will not be a bar for her to appear in the Interview/Personality Test along with other candidates as per the PT Schedule finalized by the Commission and her absence from the Interview/ PT, will entail cancellation of her candidature for the CISF ACs (Exe) LDCE 2027.

13(5). Medical Standards Test {consisting of Detailed Medical Examination (DME) & Review Medical Examination (RME), if required}, to check the standards specified in Appendix-II, will be conducted only in respect of candidates who are declared qualified in the Physical Efficiency Tests. Candidates will either be declared **"FIT**" or "**UNFIT**" in the Medical Standards Tests. Those candidates who are declared "**UNFIT**" during Detailed Medical Examination (DME) will be allowed to undergo Review Medical Examination (RME), provided they give their written consent by appending their signature on the intimation indicating the reasons for being unfit. RME of candidates will be conducted in continuation of DME preferably on the next day of DME.

13(6). The Physical Standards/Physical Efficiency Tests and Medical Standards Tests will be conducted under the supervision of CISF. These tests will be conducted at various centres to be notified after the results of the written Examination.

13(7). All candidates declared unfit during Detailed Medical Examination (DME) will submit their consent for RME in prescribed proforma duly signed by the candidate and the same should be submitted within 24 hours after he/she is informed of his/her unfitness in DME.

13(8).Candidates, who are declared qualified in the Medical Standards Tests {consisting of Detailed Medical Examination (DME) & Review Medical Examination (RME), if required}, will be called for the Interview/Personality Test to be conducted by the Union Public Service Commission..The Interview/Personality Test will carry 200 marks.

13(9). The Interview/Personality Test would be conducted by a Board of competent and unbiased persons who will have before them a record of the candidates. The candidate will be asked questions both in his/her own field as well as matters of general interest to test his/her awareness and understanding. In broad terms, this will be an assessment of not only his/her mental calibre but also his/her social traits and integrity of character. The Board would broadly assess the candidate inter-alia in the following:

(i) **Physical Make-up**
- (a) Appearance
- (b) Bearing
- (c) Manners and Mannerism

(ii) **General Intelligence, Aptitude and Interest**
- (a) Ability to perceive, analyse and present facts and situation.
- (b) Work related aptitudes, like discipline, empathy etc.
- (c) Extra-curricular activities-participation in games, sports, debates etc.

(iii) **Disposition**
- (a) Leadership, drive, determination, quick decision making etc.
- (b) Self-reliance.
- (c) Ability to face stress and crisis.
- (d) Courage-moral and physical.

(iv) **Behavioural aspect of personality**
- (a) Inter-personal relations with superiors and subordinates.
- (b) Commitment to values, integrity, secular and national orientation.

13(10).The candidature of such candidates who do not qualify at the Physical Standards/Physical Efficiency Tests or Medical Standards Tests is liable for cancellation.

14(1). After the Interview, candidates will be arranged by the Commission in order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified at the Examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

14(2). The candidates belonging to any of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes may, to the extent of the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, be recommended by the Commission by a relaxed standard, subject to the fitness of these candidates for selection to the Post.

Provided that the candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have not availed themselves of any of the concessions or relaxations in the eligibility or the selection criteria, at any stage of the Examination and who after taking into account the general qualifying standards are found fit for recommendation by the Commission shall not be recommended against the vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Further provided that the candidates who qualify in the order of merit but the results of whose medical standards test are pending will be recommended provisionally.

Further provided that the final selection of the candidates will be subject to the final outcome of the Writ Petition (Civil) No. 5877/2022 filed by Diwakar Pande & Ors. Vs. Ministry of Home Affairs &Ors. in the High Court of Delhi at New Delhi.

14(3).All tie cases shall be resolved in accordance with the 'Rounding Off Marks' and 'Tie Breaking Principles' produced as below:-

(A) <u>Rounding Off Marks:</u>

Marks obtained by the candidates shall be rounded off up to two decimal digits, at all stage(s) of the examination, by applying the standard rounding off principle, wherever applicable. Accordingly, while applying the Tie Breaking Principles, the rounded off marks up to two decimal digits shall be considered for resolving all tie cases.

(B) Tie Breaking Principle:

(i) If the marks in the aggregate (Final Marks) are equal, the candidate securing more marks in the written total will be ranked higher;

(ii) If the marks at (i) above are equal, the candidate securing more marks in "Paper-I: General Ability & Intelligence and Professional Skill" will be ranked higher;

(iii) If the marks at (i) and (ii) above are also equal, the candidate senior in age will be ranked higher; and

(iv) In cases where a tie persists even after applying the above tie breaking principles, it will be resolved at the discretion of the Commission.

15. The form and manner of communication of the result of the Examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

16. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his/her duties as an officer of the service. A candidate, who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe, is found not to satisfy these requirements will not be appointed. The candidate should be in SHAPE-1 medical category during Annual Medical Examination-**2026**(should be valid upto August-**2027**) as specified in CISF Circular No. (145) dated 28.01.2009.

17. The list of finally selected candidates would be forwarded by the Commission to Ministry of Home Affairs/Directorate General, CISF for issue of offer of appointment to the post of Assistant Commandants (Executive) for training and medical examination. The selected candidates shall undergo training at the training centre of the Force and will remain on probation for a period of two years.

18. No TA/DA/Journey expenses will be allowed to the candidates for attending the Exam at any stage.

VEERENDRA KUMAR MISHRA, Director(Pers)

APPENDIX-I

Scheme and Syllabus of the Written Examination for the Limited Departmental Competitive Examination for the post of Assistant Commandants in Central Industrial Security Force

(I) Scheme of Written Examination:

The written Examination to be conducted by Union Public Service Commission will comprise two papers as follows:

Paper-I: General Ability and Intelligence and Professional Skill :

No. Of Questions	Total Marks	Time
150	**300**	**02:30 Hrs**

This paper will be of Objective Type (Multiple Choice Questions) in which the questions will be set in English as well as Hindi. The paper will comprise two parts as follows:-

Part-A: General Ability and Intelligence (75 Questions) - 150 Marks

Part-B: Professional Skill (75 Questions) - 150 Marks

Paper II: Essay, Precis Writing and Comprehension - 100 Marks (2 hours)

In this paper, candidates will be allowed the option of writing the Essay Component in English or in Hindi, but the medium of Précis Writing and Comprehension Components will be English only.

NOTE-1: Candidates should ensure that in Paper-II they write the Answers only in the Medium allowed by the Commission for the different components as mentioned above. No credit will be given for answers written in a medium other than the one allowed in the Paper.

NOTE-2: Candidates will be required to indicate the medium of writing the Essay Component in the Attendance List and on the Answer Book. No credit will be given for the Essay Component if the candidate indicates a medium on the Attendance List and on the Answer Book other than the one in which he/she has written the Essay.

NOTE-3: There will be minimum qualifying marks separately in each Paper as may be fixed by the Commission.

NOTE-4: The Commission will declare a list of candidates qualified in the written Exam. The CISF will conduct Physical Efficiency Test first and thereafter, the Medical Efficiency Test of only those candidates will be conducted who are declared qualified in the Physical Efficiency Test.

NOTE-5: The candidates who qualify in the Medical Examination and Physical Efficiency Test shall be required to appear for Personality Test/Interview to be conducted by the Commission.

On completion of above process, a final merit list of candidates shall be prepared and be sent to the CISF authority for taking further course of action.

(II) Syllabi of the Written Papers:

Paper-I : General Ability and Intelligence and Professional Skill

PART-A: General Ability and Intelligence: The objective type questions with multiple choices in this paper will broadly cover the following areas:

1. General Mental Ability:

The questions will be designed to test the logical reasoning, quantitative aptitude including numerical ability and data interpretation.

2. General Science:

The questions will be set to test general awareness, scientific temper, comprehension and appreciation of scientific phenomena of everyday observation including new areas of importance like Information Technology, Biotechnology and Environmental Science.

3. Current Events of National and International Importance:

The questions will test the candidates' awareness of current events of national and international importance in the broad areas of culture, music, arts, literature, sports, governance, societal and developmental issues, industry, business, globalisation and interplay among nations.

4. General Awareness:

The questions shall aim to test candidates' general awareness and would inter-alia include question to test basic knowledge of history of India, Indian and World Geography as well as Indian Polity and Economy.

PART-B: Professional Skill :

This test will be designed to test professional skills of the candidates in relation to operational and administrative requirement of the Central Industrial Security Force and will broadly cover the following areas:

1. CISF related Professional Skills :

- Industrial Security;
- Industrial Safety and fire fighting;
- Disaster Management;
- Aviation Security;
- Crime and Intelligence-Espionage, Sabotage, Subversion;
- Perimeter Security;
- Security of vital installations-DAE, Metro Rail, Space; Govt. Buildings, Ports, Jails;
- Use of Technical Gadgets - Alarm, detection, intrusion, Access control, Fire safety;
- Bomb Detection and Disposal;
- VIP Security;
- Internal Security and Election duties;
- Drone Technology in Security duties;

- Security Consultancy.

2. **Law :**

- **Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023** (Sections :35-62 Arrest, 96-110 search and seizure, 148-151 unlawful assembly, 163 urgent cases of nuisance or apprehended danger, 168-172 preventive action of the police);
- **Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023** (Sections: 2(28) public servant, 14-44 General Exceptions, 112-113 Petty organized Crime, Terrorist Act, 152 Act endangering sovereignty, unity and integrity of India, 171 Undue influence at elections, 189-197 Offences against public tranquility, 286-290 Negligent conduct with respect to poisonous substance, fire or combustible matter, explosive substance, machinery, pulling down repairing or constructing buildings etc, 304 Snatching, 303-307 Theft, 316-317 Criminal breach of trust, Stolen property, 324-328 Mischief, 329-334 Criminal Trespass, 351 Criminal Intimidation);
- **Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023** (Sections:2(e) Evidence, 57 & 58 Primary Evidence and Secondary Evidence);
- **The Industrial Relation Code, 2020; The Code on Social Security, 2020 (Chapter-VII);**
- **Other Criminal Offences** (Unlawful Activities Prevention Act, 1967; Prevention of Corruption Act, 1988; Information Technology Act 2000; Protection of Children against Sexual Offences Act, 2012);
- **Human Rights** (Universal Declaration of Human Rights, Constitution of India-Articles 19, 20, 21 and 22; Protection of Human Rights Act, 1993; The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, prohibition and Redressal) Act, 2013).

3. Computer Skills and Awareness :

- Computer Security,
- Basic Computer Operations;
- Basic Hardware and Software;
- Artificial Intelligence

4. Service Rules and HR Matters :

- CCA Rules;
- CISF Act and Rules;
- HR Functions related to CISF

Paper-II : Essay, Précis Writing and Comprehension :

This paper shall test candidates' ability to bring to fore his/her ideas on the given essay topic, arrange them in a coherent, orderly, concise, understandable and lucid manner in effective and grammatically correct language free from spelling errors.

Further, this shall test candidates' ability to understand the given passages for précis writing and comprehension and their skills to summarise the précis passage and reply to the short-answered questions on the comprehension passage.

APPENDIX-II

PHYSICAL AND MEDICAL STANDARDS FOR THE CANDIDATE FOR THE POST OF ASSISTANT COMMANDANTS IN THE CISF SELECTED THROUGH LIMITED DEPARTMENTALCOMPETITIVE EXAMINATION-**2027**

APPENDIX-II (A)

(**1**) **Physical Standards:**

The Minimum requirements for the candidate (for all categories) are as follows:

	Men	**Women**
Height	165 cms (Gen & SC)	157 Cms(Gen& SC)
	162.5 cms(ST)	154 cms(ST)
Chest (unexpanded)	81 cms (with 5 cm minimum expansion)	Not applicable
Weight	Corresponding to height	Corresponding to height
Medical	SHAPE-1	SHAPE-1

Moreover, the weight should be as per the height and age as mentioned in **APPENDIX-II (B).**

(2) Medical Standards:

(a) **Eye Sight :**

	Better eye (Corrected vision)	Worse eye (Corrected vision)
Distant Vision	6/6 OR 6/9	6/12 6/9
Near vision	JI (corrected)	J2 (corrected)

The candidate should not have squint of any degree and should have high colour vision. The candidate will be tested for colour vision by Ishihara'stest as well as Edridge-Green Lantern Test. Eyes should be bright, clear with no abnormality/disease. Movements of eyeballs should be full and free in all directions. In every case of Myopia, fundus examination should be carried out and the results should be recorded. Contact lenses or laser surgery is not allowed.

(b) **Carrying angle:** Carrying angle should not be more than 15° for male and 20° for female.

(c) **Ear:**

i) Candidate should not have any degree of deafness or persistent ear discharge.

ii)Candidate should not have any other condition (congenital or acquired) like atresia of the meatus, exostosis, neoplasm which is causing obstruction of ear passage and should not have history or recurrent earache, tinnitus and vertigo.

(d)**Nose**: Candidate should not have DNS, atrophic rhinitis, tubercular, ulceration, chronic sinusitis.

(e) **Neck**: Candidate should not have enlarged lymph nodes, thyroid or other swelling of neck, inability to extend the neck fully or any evidence of disease of spine or cervical vertebrae.

(f)**Teeth**: Candidate must possess sufficient number of sound teeth for efficient mastication. Candidate should not have severe pyorrhea.

(g) **Venereal Disease**: Candidate should not have active signs of clinical VD.

(h) **Chronic skin diseases**: Candidate should not have chronic skin diseases like Leprosy, chronic dermatitis, extensive Pityriasis Versicolor, Psoriasis, SLE etc.

(3) **General Standards**:

a) Speech should be without impediment i.e. no stammering.
b) The candidate should not have any indication of chronic disease like TB, any type of arthritis, high blood pressure, Diabetes, Bronchial Asthma, any heart disease.
c) Candidate should not have perceptible and visible glandular swelling anywhere in the body.
d) Chest should be well formed, devoid of any abnormality like flat chest, pigeon chest, with rickety rosary defects. Heart and lungs should be sound.
e) Limbs, hands and feet should be well formed and fully developed and there shall be perfect motion of all joints.
f) Should not have any old/mal united fracture of bones.
g) There should be free and perfect movements of all the joints.
h) Feet and toes should be well formed.
i) Should not have congenital malformation or defects.
j) Should not bear traces of previous acute or chronic disease pointing to any impaired constitution.
k) Candidate should have no disease of the genito-urinary tract.
l) Candidate should have no inguinal, scrotal swelling, any type of Hernia.
m) Both the testicles are in the scrotum and of normal size. (Only for male)
n) The candidate must not have knock knees, flat foot, varicose veins.
o) They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.

(4) Candidate should not suffer from TACHYCARDIA (more than 100 pulse rate per minute) or BRADYCARDIA (less than 50 per minute).

(5) Candidate should not suffer from Hernia, Hemorrhoids, Condylomata prolapse rectum.

NOTE:

1. **Medical Examination will be conducted as per revised uniform guidelines issued by MHA UO dated 20.05.2015 for recruitment of GO's and NGO's in the CAPFs & AR and Review Medical Examination will be conducted as per revised uniforms guidelines for RME in CAPFs & ARs for GO's & NGO's vide MHA UO No.E-32012/ADG (Med)/DME&RME/DA-1/2020 (Part File)/ 1166 dated 31.05.2021.**

2. **Candidates will either be declared "FIT" or "UNFIT" in the Medical Standards Tests. Those candidates who are declared 'UNFIT' in the Medical Standards Tests will be allowed to appear before the Review Medical Board preferably on next day of Detailed Medical Examination.**

APPENDIX-II (B)

Male Average Body Weights in Kilograms for different Age Groups and Heights

Height in CMs	Age in years			
	18-22	**23-27**	**28-32**	**33-37**
156	44-54	46-56	47-58	48-59
158	45-55	47-57	48.5-59.5	49.5-60.5
160	46-56	47.7-58.5	49.5-60.5	50.5-61.5
162	47-58	49-60	50.5-61.5	52-63
164	48-59	50-61	52-63.5	53-65
166	49.5-60.5	51.5-62.5	53-65	54.5-66.5
168	51-62	52.5-64.5	54.5-66.5	56-68
170	52-64	54-66	56-68	57.5-70.5
172	54-66	55.5-67.5	57-70	59-72
174	55-67	57-70	59-72	61-74.5
176	56.5-69	58.5-71.5	60.5-73.5	62-76
178	57.5-70.5	60-73	61.5-75.5	63.5-77.5
180	59-72	61-75	63.5-77.5	65.5-80
182	61-74.5	62.5-76.5	65-79	66.5-81.5
184	63-77	64.5-78.5	66.5-81.5	68.5-83.5
186	63.5-77.5	65.5-80.5	68-83	70-86
188	65-79	67.5-82.5	70-85.5	71.5-87.5
190	66-81	68.5-83.5	70.5-86.5	72.5-88.5

Female Average body Weights in Kilograms for Different Age Group and Heights

Height in CMs	Age in years			
	18-22	**23-27**	**28-32**	**33-37**
148	34.5-42.5	37-45	38.5-47	39.5-48.5
150	36.5-44.5	37.5-45.5	39-48	40.5-49.5
153	38-46	39-48	41-50	42-51
155	38.5-47.5	40-49	41.5-50.5	43-52.5
158	40.5-49.5	42-51	43-53	44.5-54.5
160	41.5-50.5	43-52.5	44-54	45.5-54.5
163	43-52.5	44-54	46-56	47-57
165	44-54	45.5-55.5	47-58	48.5-59.5
168	45-55	47-57	48.5-59.5	49.5-60.5

The body weights are given in this chart corresponding to only certain heights (in cms). In respect of height in between, the principle of 'Average' may be utilized for calculating body weights.

For calculating average weight beyond the heights tabulated, 0.71 Kg for every one cm of increase or decrease in height may be added or subtracted respectively.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.